बिहार विधायिका सभा वादवृत्त ।

सोमवार, ७ मार्च, १९४९

भारत शासन विधान, १९३५, के प्रावधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य-विवरण ।

सभा की बैठक पटने के सभा-वेश्म में सोमवार, तिथि ७ मार्च, १९४९ को ११-३० बजे पूर्वाह्न में माननीय प्रमुख श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, के सभापतित्व में हुई ।

प्रश्नोत्तर

आलू के बीज के व्यापारियों से सेल्स टैक्स की वसूली ।

१२७ श्री वासुदेव प्रसाद सिंह : क्या माननीय अर्थ मंत्री बताने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सच है कि आलू के बीज के व्यापारियों से सेल्स टैक्स (विक्रय-कर) वसूल किया जाता है ;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन बीज के व्यापारियों को सेल्स टैक्स से मुक्त करने का विचार करती है जिससे 'अधिक अन्न उपजाओ' अन्दोलन में सहायता मिले ;

(ग) यदि खंड (क) का उत्तर नकारात्मक है तो आलू के बीज के व्यापारियों से सेल्स टैक्स वसूल करने वाले अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह :

(क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) उत्तर नकारात्मक है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

खड़ी फसल को बन्दरों द्वारा बरबादी ।

१२८ । श्री वासुदेव प्रसाद सिंह : क्या विकास विभाग के माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे —

प्रान्त में पुस्तकालयों की वृद्धि (विकास)।

१३१। श्री झूलन सिंह : क्या शिक्षा विभाग के प्रभारी माननीय मंत्री कृपाकर बतायेंगे—

(क) क्या यह सच है कि प्रान्त में पुस्तकालयों के विकास की योजना के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक सबडिवीजनल हेडक्वार्टर्स में जहां अच्छा स्थान एवं जनता का सहयोग प्राप्त हो, सुसज्जित पुस्तकालय खोला जाय;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार की योजना के आधार पर गोपालगंज (सारन) के फ्रेटरनिटी क्लब के सेक्रेटरी ने सरकार के पास लिखा है कि वहां एक सबडिवीजनल पुस्तकालय खोलने के लिए उचित स्थान देने तथा उसके स्थापन के लिए रुपए देने को वे तत्पर हैं;

(ग) यदि खंड (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो उस सेक्रेटरी के दिए गए आवेदन-पत्र पर क्या कार्रवाई की गई अथवा क्या किया जा रहा है;

(घ) क्या यह सच है कि खंड (ख) में वर्णित आवेदन-पत्र के अतिरिक्त गोपालगंज शहर से उसी सम्बन्ध में और कोई आवेदन-पत्र सरकार के पास भेजे गए हैं;

(ङ) यदि खंड (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है अथवा क्या करने का विचार करती है।

माननीय श्री बदरी नाथ वर्मा :

(क) बिहार के सबडिवीजनल हेडक्वार्टर्स में पुस्तकालयों को खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ख) उत्तर नकारात्मक है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उत्तर नकारात्मक है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री झूलन सिंह : उत्तर (क) से, कहा गया है कि सबडिवीजनल हेडक्वार्टर्स में पुस्तकालयों के खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से निर्णय हो जाने के बाद चिट्ठी द्वारा लोगों से सुझाव मांगा गया है?

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा :

पूछताछ जरूर की गई है।

श्री झूलन सिंह : सुझाव मांगा गया है या नहीं ?

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा :

सुझाव मांगा गया है मगर निर्णय नहीं हुआ है।

श्री झूलन सिंह : निर्णय नहीं हुआ है तो सुझाव क्यों मांगा गया ?

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा :

इसलिए कि सरकार सभी चीजों को ठीक-ठीक रखना चाहती है ताकि तय होते ही काम शुरू कर दें।

श्री झूलन सिंह : क्या यह सही है कि जवाब देने वाले अधिकारी जानबूझ कर गलत जवाब दे दिया करते हैं ?

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा :

यह तो कहीं से नहीं निकलता है।

श्री झूलन सिंह : प्रमुख महोदय; मैंने खुद दरखास्त दी थी और हमारी जानकारी में हमारे सामने गोपालगंज पुस्तकालय की ओर से भी दरखास्त हमारे सामने भेजी गई। मगर कहा जाता है कि नहीं मिली है। इसीलिये मैंने पूछा था कि गलत जवाब दिया जाता है।

बिहार टेनेन्सी ऐक्ट की धारा ११२-ए।

* १३२। श्री मुहम्मद अब्दुल गनी : क्या राजस्व विभाग के प्रभारी माननीय मंत्री कृपया बताएंगे—

(क) सारन जिले में बिहार टेनेन्सी ऐक्ट की धारा ११२-ए के अधीन लगान कमी की कार्रवाई के अन्तर्गत रेंट कम्यूटेशन अफसर द्वारा लगान कम किए गये ऐसे मुकदमों की संख्या क्या है; जो किसी सिविल कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित कर दिए गए हैं;

(ख) क्या यह बात ठीक है कि कुछ मुकदमे में लगान का भावली से नकदी किया जाना इसलिए अमान्य घोषित किया गया है कि उस मुकदमे से सम्बन्ध रखने वाले सभी जमीन्दारों को फरीक नहीं बनाया गया था या सभी

---

* मा० सदस्य की अनुपस्थिति में श्री लतीफुर रहमान के निवेदन करने पर उत्तर दिया गया।